डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 अगस्त 2001—श्रावण 19, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1681/एफ-10/332/2001/वाक-पांच (37).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग की धारा 9 के अधीन कर के भुगतान के उस सीमा तक के लिए जो कॉलम (3) की तत्स्थायी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उक्त सूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए 1-10-2000 से 31-3-2002 तक छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

क्रम (1)	माल का वर्ग (2)	कालावधि (3)	निर्बंधन तथा शर्तें जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है (4)
1.	पॉलीथीन इंस्युलेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, ऑप्टिकल फायबर टेलीफोन केबल्स, पी.बी.सी. इन्सुलेटेड जी. आई. वायर, ड्राय वायर, उनकी एक्सेसरीज एवं अन्य प्रकार के दूर संचार केबल्स.	अंशत: इस प्रकार कि जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों को विक्रय किया जाये.

Raipur, the 10th August 2001

NOTIFICATION

No. 1681/F-10/332/2001/CT/V (37).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam, to the extent specified in column (3) for the period from 01-10-2000 to 31-03-2002 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Polythene insulated jelly filled telephone cable, Optical fibre telephone cable, PVC insulated GI wire, Drop wire, accessories and telecommunication cables of other types.	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent.	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam to Bharat Sanchar Nigam Limited or its subsidiary companies.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1682/एफ-10/332/2001/वाक-पांच (38).—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी पंजीयत व्यापारी जिसके व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा पॉलीथीन इंस्युलेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, आप्टीकल फायबर टेलीफोन केबल्स, पी.वी.सी. इंस्युलेटेड जी.आई. वायर, ड्रॉप वायर तथा एक्सेसरीज एवं अन्य प्रकार के दूरसंचार केबल्स का विक्रय उसके द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों को छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतरराज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किए गए ऐसे विक्रय के टर्नओवर पर देय कर की गणना, दिनांक 01-10-2000 से दिनांक 31-03-2002 के बीच की अवधि के दौरान 4 प्रतिशत की घटी हुई दर पर की जावेगी.

Raipur, the 10th August 2001

NOTIFICATION

No. 1682/F-10/332/2001/CT/V (38).—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby directs that the sales effected by any registered dealer whose place of business is in Chhattisgarh, of polythene insulated jelly filled telephone cables, optical fibre telephone cables, P.V.C. Insulated G.I. Wires, Drop Wires and accessories and the telecommunication cables of other types to Bharat Sanchar Nigam Limited or its subsidiary companies from its place of business located in Chhattisgarh in the course of inter-state trade or commerce, the tax on the turn over of such sales transacted by it shall be calculated at the lower rate of 4 per cent during the period from 01-10-2000 to 31-03-2002.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1686/एफ-10/324/2001/वाक-पांच (41).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में; उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)	संशोधन (3)
1.	A-5-1-94-विक-पांच (22), दिनांक 1-4-1995	अनुसूची के अनुक्रमांक 5 में से शब्द "रि-रोलिंग स्टील मिल से भिन्न" विलोपित किये जायें.
2.	A-3-10-2000-विक-पांच (11), दिनांक 21-1-2000	अनुसूची के अनुक्रमांक 21 एवं 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जायें.
3.	A-3-20-2000-विक-पांच (22), दिनांक 29-3-2000	अनुसूची के अनुक्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि विलोपित की जाये.
1.	A-3-28-2000-विक-पांच (30), दिनांक 13-4-2000	अनुसूची के अनुक्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 तथा उनसे संबंधित घोषणा-पत्रों सहित प्रविष्टियां विलोपित की जायें.

2. यह संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2001 से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 10th August 2001

NOTIFICATION

No. 1686/F-10/324/2001/CT/V (41).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department notification specified in column (2) of the schedule below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Notification No. and Date (2)	Amendments (3)
1.	A-5-1-94-ST-V(22), dated 1st April, 1995	In the schedule from serial number 5 the words "not being a re-rolling steel mill" shall be deleted.
2.	A-3-10-2000-ST-V(11), dated 21st Jan., 2000	In the schedule serial number 21 and 22 and entries relating thereto shall be deleted.
3.	A-3-20-2000-ST-V(22), dated 29th March, 2000	In the schedule serial number 3 and entry relating thereto shall be deleted.
4.	A-3-28-2000-ST-V(30), dated 13th April, 2000	In the schedule serial number 1,2,3,4 and 5 and entries with declaration froms relating thereto shall be deleted

2. These amendments shall come into force with effect from 10th Aug. 2001.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1687/एफ-10/324/2001/वाक-पांच (42).—चूंकि, राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956), की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचना में; उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)	संशोधन (3)
1.	A-3-28-2000-विक-पांच (31), दि. 13 अप्रैल 2000	(1) अनुसूची के अनुक्रमांक 1,3 एवं 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जायें.
		(2) अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के कॉलम 5 की उप-प्रविष्टि (ख) में से शब्द "जिनका क्रय ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिसमें ऐसा व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अधीन कर का भुगतान नहीं किया गया है" विलोपित किए जायें.

2. यह संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2001 से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 10th August 2001

NOTIFICATION

No. 1687/F-10/324/2001/CT/V (42).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendments in this department notification specified in column (2) of the schedule below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said schedule, namely:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Notification No. and Date (2)	Amendments (3)
1.	A-3-28-2000-ST-V(31), dt.13th April,2000	(1) In the schedule serial numbers 1,3 and 4 and entries relating thereto shall be deleted.
		(2) In the schedule from sub-entry (b) of column (5) of serial number 2 the words "that had been purchased in the circumstances in which no tax under Section 9 of the Adhiniyam was paid" shall be deleted.

2. These amendments shall come into force with effect from 10th Aug. 2001

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1688/एफ-10/324/2001/वाक-पांच (43).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचना में; उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)	संशोधन (3)
1.	A-3-28-2000-विक-पांच (33), दि. 13 अप्रैल 2000	अनुसूची के कॉलम (4) के अनुक्रमांक 3 में से शब्द "और कर निर्धारण के समय ऐसा व्यवसायी कर निर्धारक अधिकारी को यह समाधान करा दे कि उक्त माल वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . . दिनांक . . . . .के अनुक्रमांक 4 के अधीन एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . . .के अनुक्रमांक 2 के अधीन विक्रेता व्यापारी को उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा-पत्र जारी कर 2 प्रति की रियायती दर पर क्रय किया गया था अथवा ऐसे कच्चे माल से निर्मित माल के विक्रय पर उक्त दोनों अधिसूचनाओं की अनुसूची के उक्त अनुक्रमांकों के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से कर देय है" विलोपित किये जायें.

2. यह संशोधन दिनांक 10 अगस्त 2001 से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 10th August 2001

NOTIFICATION

No. 1688/F-10/324/2001/CT/V (43).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), hereby makes the following amendment in this department notification specified in column (2) of the schedule below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Notification No. and Date (2)	Amendment (3)
1.	A-3-28-2000-ST-V(33), dt.13th April,2000	In the schedule in column (4) of serial number 3, the words "and such dealer proves to the satisfaction of the assessing authority that the time of assessment that the said goods had been purchased from a registered dealer at the reduced rate of tax of 2 per cent, under item 4 of the schedule to the CTD Notification No. .....dated.......and item 2 of the schedule to the notification No. ....dated.........issued under Central Sales Tax Act by issuing to the selling registered dealer a declaration in the form specified in the said notification or the goods manufactured out of such raw material are liable

(1)	(2)	(3)
		to tax at the rateof 2 percent on the sales under above item Nos. .... of the schedule to the CTD and Central Sales Tax Act Notification referred above" shall be deleted.

2. This amendment shall come into force with effect from 10th Aug. 2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.